न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 17/2023 | तारीख दायरा 22.06.2023 | तारीख फैसला 24.01.2024

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अशोक कुमार आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी करडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1– ओमप्रकाश आत्मज रामलाल जाति चमार निवासी सीमलिया
2– चन्द्र प्रकाश आत्मज रामलाल जाति चमार निवासी सीमलिया
3– कन्याबाई पुत्री राध्या, पत्नी छोटूलाल जाति चमार निवासी सीमलिया हाल दीपपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा पोस्ट बनियानी
4– मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति चमार निवासी श्रीराम नगर, वार्ड नं0 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5– ममता बाई पुत्री बाबूलाल , पत्नी बन्टी जाति मेघवाल निवासी द्वारा रायचन्द्र जी मेघवाल , रामदेव जी के मन्दिर के पास, ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
6– शांतिबाई पत्नी बाबूलाल जाति चमार निवासी श्रीराम नगर वार्ड नं0 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (मृतक)
7– मोहर बाई पुत्री प्रभु पत्नी रेवड़ीलाल जाति चमार निवासी रामदेव जी के मन्दिर के पास बड़गांव, कोटा पोस्ट नान्ता
8– रामविलास पुत्र प्रभु जाति चमार निवासी देवली मच्छियान तहसील लाड़पुरा जिला कोटा पोस्ट नयागांव
9– सुगना बाई पुत्री प्रभु, पत्नी भंवरलाल जाति चमार निवासी चरखवाडा तहसील के0पाटन जिला बूंदी पोस्ट मायजा
10– सावित्री पुत्री रामलाल , पत्नी बंशीलाल जाति चमार निवासी ब्राहम्णी माताजी बमूलिया हाल निवास खटीकों के मकान के पास सीमलिया जिला कोटा
11– रामप्यारी पत्नी रामलाल जाति चमार निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
12– सोमारिया पुत्र राध्या जाति चमार निवासी मेघवाल बस्ती सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
13– जगन्या पुत्र मांग्या उर्फ मंगला मृतक जर्ये का0मु0
13/1–श्योजी पुत्र जगन्या जाति चमार निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण 1–5 व 7–13 की ओर से– श्री प्रमोद चौधरी एड0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता कायम व बहाल करवाने हेतु

निर्णय

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 939/451 की 0.2802 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 पेश है।

2– यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि पास पास लगवा है जिसके उत्तर दिशा में प्रतिपक्षीगण के खाते की ग्राम कराडिया की खसरा नम्बर 449 की 0.04 हेक्टर भूमि स्थित है उसके बाद आम रास्ता व सड़क है। इसी रास्ते होकर प्रतिपक्षीगण की खसरा नम्बर 449 में होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 939/451 की भूमि पर आता जाता रहा है। यानि उक्त खसरा नम्बर 449 की भूमि रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है। मौके पर यह भूमि केवल रास्ते के उपयोग की है जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः–

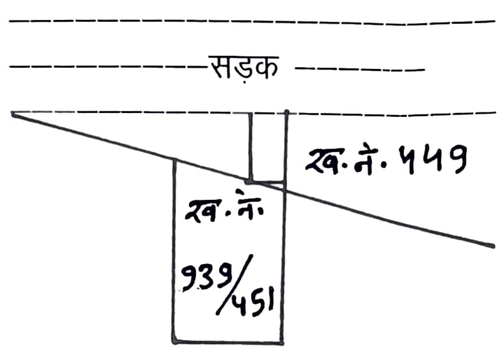

3– यह कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 939/451 पर आने के लिये खसरा नम्बर 449 की भूमि पर होकर चालू रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत पर आता जाता है। हंकाई जुताई के साधन व अन्य काश्तकारी सामान लाता ले जाता रहा है ओर अपने खेत पर फसल आदि काश्त कर अपने व परिवार की जीवनयापन करता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का प्रचलित व चालू रास्ता रहा है तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

4– यह कि प्रार्थी का अपने खेत पर पहुंचने का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही रास्ता प्रार्थी के अपने खेत पर पहुंचने का एक मात्र प्रचलित व चालू रास्ता है, जो राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है।

5– यह कि फसली मौसम आने के कारण खेत जुताई हेतु खातेदारी की भूमि पर जाते वक्त प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण ने दिनांक 15.06.2023 को उनके खसरा नम्बर 449 की भूमि में होकर निकलने से मना किया इस पर प्रार्थी ने दिनांक 16.06.2023 को प्रतिपक्षी नं0 14 व उनके कर्मचारियों से उक्त रास्ते को बहाल करवाने व अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने से इन्कार कर दिया।

6– यह कि उक्त खसरा नम्बर 449 की भूमि में 30 फीट चोड़ा आम रोड से उत्तर से दखिण रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 939/451 की भूमि तक दिये जाने व कायम किये जाने व इस संबंध में प्रतिपक्षी नं0 14 को पैमायश करा कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार साहब दीगोद को आदेश व निर्देश दिया जाना आवश्यक है। आवश्यकता पडने पर प्रार्थी राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान द्वारा कायम भूमि की कीमत अदा करने को तत्पर है।

7– यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अविलम्ब पेश किया जा रहा है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 939/451 की भूमि पर पहुंचने के लिये आम रोड से खसरा नम्बर 449 में होते हुये उत्तर से दक्षिण 30 फीट चोड़ा प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में करने हेतु प्रतिपक्षीगण को आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कराडिया खाता सं0 303 सम्वत 2076–2079

2– नकल जमाबन्दी ग्राम कराडिया खाता सं0 62 सम्वत 2076–2079

3– नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कराडिया

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 5 व 7 ता 13 की ओर से श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षी क्रम 6 की मृत्यु हो चुकी है उसके का0मु0 प्रार्थना पत्र पर पूर्व से ही रिकार्ड पर है। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:–

1– यह कि प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

2– यह कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व भ्राता योगेश कुमार का खेत क्रमशः खसरा नम्बर 939/451 व 943/452 है जो प्रतिपक्षीगण के खेत के दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्व में खसरा नम्बर 452 का एक ही खेत था जिसमें प्रार्थी व उसके भ्राता योगेश कुमार ने आपसी विभाजन करा कर अलग अलग करा लिया तथा प्रार्थी के साथ साथ योगेश कुमार ने भी धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर दिया, तथा दोनों ही अपने अपने खेत में प्रतिपक्षीगण के खेत खसरा नम्बर 449 की भूमि में से रास्ते की मांग कर रहे है जो अवैध है। प्रतिपक्षीगण के खेत में से दो दो जगह से रास्ता नहीं दिया जा सकात है। इस कारण प्रार्थी व योगेश कुमार अलग अलग रास्ता की भूमि प्राप्त करने व रास्ता कायम कराने के अधिकारी नहीं है।

3– यह कि प्रार्थी व उसके भ्राता योगेश कुमार दोनों की भूमि का एक खेत करने पर प्रतिपक्षीगण अपनी भूमि के पश्चिम दिशा की ओर से जहां से सड़क कम दूरी पर है वहां से 20 फीट चोडा एक ही रास्ता देने को सहमत है। जिसकी राशि प्रतिपक्षीगण नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी है।

4– यह कि प्रतिपक्षी नं0 6 शांतिबाई की मृत्यु हो गयी है मृतक व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

5– यह कि प्रार्थी व उसके भ्राता योगेश कुमार द्वारा प्रतिपक्षीगण के खेत का स्वरूप बिगाड़ने की मंशा से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। विकल्प में यदि प्रार्थी व उसके भ्राता योगेश कुमार को उसके खेत में जाने का रास्ता दिया जाना आवश्यक हो तो प्रतिपक्षीगण अपने खेत खसरा नम्बर 449 के पश्चिम दिशा में 20 फीट का रास्ता जहां रोड से भूमि की कम दूरी हो रास्ता कायम किया जा सकता है जिसकी राशि नियमानुसार प्रार्थी व उसका भ्राता योगेश कुमार न्यायालय के आदेश से जमा कराने पर रास्ता दिया जा सकता है।

प्रकरण में प्रतिपक्षी क्रम 14 तहसीलदार दीगोद की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

प्रकरण सं0 17/2023 बउनवान अशोक कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0 में पत्रांक राजस्व/2023/870 दिनांक 04.10.2023 से तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से पेश की गयी–

1– ग्राम कराडिया के खसरा नम्बर 939/451 रकबा 0.2802 हे0 भूमि पर खातेदार अशोक कुमार पुत्र राजाराम जाति मीणा निवासी कराडिया के खाते दर्ज रेकार्ड है जो वर्तमान में पड़त है।

2– खसरा नम्बर 939/451 में जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है।

3– खसरा नम्बर 939/451 के खातेदार उक्त खसरा में जाने के लिए एन0एच027 के सहारे स्थित खसरा नम्बर 449 में से होकर जाते है।

4– खसरा नम्बर 939/451 में जाने के लिए अन्य कही से भी रास्ता नही है। एवं सबसे नजदीकी रास्ता यही है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। पटवारी रिपोर्ट संलग्न है।

5– उक्त प्रस्तावित रास्ता (ख0नं0 449 के अंदर) की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 3 मीटर एवं चौडाई पूर्व से पश्चिम 10 मीटर कुल रकबा 30 मीटर है।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में उपभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को ही दोहराया गया तथा प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दोहराया गया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अध्ययन अवलोकन किया तथा तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है किन्तु प्रार्थी अपने खाते की भूमि में पूर्व से ही आता जाता रहा है तथा खसरा नम्बर 939/451 के खातेदार उक्त खसरा में जाने के लिए एन0एच027 के सहारे स्थित खसरा नम्बर 449 में से होकर जाते है तथा अन्य कहीं से अन्य कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं सबसे नजदीकी रास्ता यही होना स्पष्ट किया है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने एवं कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने हेतु खसरा नम्बर 449 में होते हुये उत्तर से दक्षिण 30 फीट चोड़ा प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी

राडिया को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 943/451 की 0.1601 हेक्टर भूमि पर पहुंचने के लिये आम रोड़ से खसरा नम्बर 449 में होते हुये उत्तर से दक्षिण 30 फीट चोडा रास्ते हेतु प्रार्थी के रास्ते के उपयोग एवं उपभोग में आयी भूमि का नियमानुसार माप करते हुए प्रतिपक्षीगण को डी0एल0सी0 दर का दुगना से मुल्यांकन किया जाकर नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावे, तथा नियमानुसार प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करते हुए नक्शा में दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद